# बलात्कार और उसकी सज़ा

बलात्कार शब्द लैटिन भाषा के रैपियो शब्द से  लिया गया है, जिसका अर्थ है 'जब्त करना'। इस प्रकार बलात्कार का शाब्दिक अर्थ एक जबरन जब्ती है। यह सामान्य शब्दावली में दर्शाता है, "किसी महिला की सहमति के बिना, उसकी सहमति के बिना, बल, भय, या धोखाधड़ी से" या "उसकी इच्छा के विरुद्ध बल द्वारा एक महिला का ज्ञान।" दूसरे शब्दों में, बलात्कार एक महिला के निजी व्यक्ति की हिंसा के साथ उल्लंघन है।

भारतीय दंड संहिता में  धारा 375 बलात्कार को परिभाषित करती है।

रफीक बनाम यूपी राज्य के मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने टिप्पणी की कि 'एक हत्यारा शरीर को मारता है, लेकिन एक बलात्कारी आत्मा को मार देता है'।

## संशोधन (2013 का वीडियो अधिनियम 13)

निर्भया दिल्ली गैंग रेप केस के बाद, 'द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, 2013' 30 फरवरी, 2013 की तीसरी तारीख को लागू हुआ। अब यह मामला भारतीय न्यायपालिका केस कानूनों के इतिहास में 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस' के रूप में दर्ज किया गया। इस संशोधन अधिनियम द्वारा, हमारे विधायकों ने कुछ नए खंड पेश किए और भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण में कुछ संशोधन किए।

1983 के अधिनियम 43 और 2013 के अधिनियम 13 द्वारा लाए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अन्य प्रावधान नीचे सूचीबद्ध हैं: -

असत्य मन की स्त्री या नशे के खिलाफ सहमति को वैध रक्षा नहीं माना जाता है।

अभियुक्त  पर निर्दोषता का सबूत - धारा 114 A को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1983 के 43 में सम्मिलित किया गया था।

पीड़ित की पहचान के प्रकटीकरण पर रोक - धारा 228 ए आईपीसी ने 1983 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 43 को जोड़ा।

स्थायी वनस्पति राज्य - 2013 के एक नए खंड 376 ए को आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 13 में जोड़ा गया है। जब पीड़ित के कारण चोट लगने से महिलाओं की मृत्यु हो जाती है या महिलाओं के लगातार वनस्पति राज्य में होने का कारण बनता है, तो आरोपी किसी ऐसे पद के लिए कारावास की सजा हो सकती है जो 20 वर्ष से कम नहीं हो सकता है या आजीवन कारावास या उस व्यक्ति के शेष जीवन या मृत्यु तक का विस्तार हो सकता है।

कैमरे में परीक्षण - धारा 327 सीआरपीसी, 1973 में 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 13 में संशोधन किया गया है, जिसमें धारा 376, धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी या धारा 376 के तहत बलात्कार या अपराध की जांच और परीक्षण। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी को कैमरे में चलाया जाएगा।

कस्टोडियल रेप - धारा 376 सी, आईपीसी में उन वर्गों का एक समूह शामिल होता है जो अपराध की एक नई श्रेणी बनाते हैं, जिसे कस्टोडियल बलात्कार के रूप में जाना जाता है, जिसमें बलात्कार की मात्रा नहीं होती है

क्योंकि ऐसे मामलों में पीड़ित की सहमति भ्रामक परिस्थितियों में प्राप्त की जाती है। (2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 13 द्वारा प्रतिस्थापित)

न्यायिक पृथक्करण के दौरान पत्नी के साथ संभोग – धारा 376 बी आईपीसी ने आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 13 का 2013 डाला, जुदाई की सजा के डिक्री के तहत उसकी सहमति के बिना उसकी खुद की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, न्यूनतम 2 साल के लिए जो 7 साल तक का होता है ।

बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा – इस प्रावधान को 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 13 के अधिक कड़े प्रावधान किए गए हैं।

अभियोजन पक्ष की चरित्र हत्या निषिद्ध – भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 146 में भारतीय प्रोविडेंस कानून (संशोधन) अधिनियम 13 की धारा 13 में 'प्रोवीसो क्लॉज' को क्रॉस-एग्जामिनेशन में प्रोक्सीट्रिक्स चरित्र के बारे में सवाल करने के लिए अस्वीकृत किया गया है।

## बलात्कार की परिभाषा (धारा 375 के संशोधन के बाद)

एक आदमी को "बलात्कार" करने के लिए कहा जाता है अगर वह –

1. अपने लिंग को किसी भी हद तक, किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बनाता है; या

2. सम्मिलित करता है, किसी भी हद तक, किसी भी वस्तु या शरीर का एक हिस्सा, लिंग नहीं होने के नाते, योनि में, एक महिला के मूत्रमार्ग या गुदा या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बनाता है; या

3. एक महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या ऐसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश हो सके या वह उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कर सके; या

4. एक महिला के योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर उसके मुंह को लागू करता है या उसे सात विवरणों के तहत आने वाली परिस्थितियों में उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए बनाता है। [3]

# परिभाषा का विश्लेषण

2013 का अधिनियम बलात्कार की परिभाषा को एक महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में मौखिक सेक्स के साथ-साथ किसी वस्तु या किसी अन्य शरीर के हिस्से को सम्मिलित करने के लिए बलात्कार की परिभाषा को विस्तार देता है।

एक पुरुष बलात्कार का दोषी है अगर वह किसी महिला के साथ या उसके खिलाफ या उसकी सहमति के बिना धारा 375 के तहत पहली बार सातवें खंड के तहत संभोग का अपराध करता है।

## बलात्कार की आवश्यक सामग्री

आईपीसी की धारा 375 के तहत बलात्कार के अपराध का अपराध, एक पुरुष द्वारा अपनी इच्छा के खिलाफ एक महिला के साथ संभोग और नीचे बताए गए सात परिस्थितियों में से किसी एक के तहत उसकी सहमति के बिना संभोग है।

उसकी इच्छा के विरुद्ध।

उसकी मर्जी के बिना।

सहमति से उसे या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें वह मौत के डर से या चोट लगने पर दिलचस्पी लेता है, के साथ सहमति प्राप्त करता है।

सहमति के साथ लेकिन इस तथ्य की गलत धारणा के तहत कि वह उसका पति था,

मन की अस्वस्थता के कारण, या नशे के प्रभाव में या किसी बेवकूफी या अनजाने पदार्थ के कारण दी गई सहमति

सहमति के साथ या बिना अठारह के तहत महिलाएं।

जब महिलाएं सहमति का संचार करने में असमर्थ हैं।

किसी पुरुष के खिलाफ बलात्कार के आरोप को घर में लाने के लिए, यह स्थापित करना आवश्यक है कि 'संभोग' की शिकायत या तो उसकी मर्जी के बिना या उसके खिलाफ की गई थी। जहाँ पहले सातवीं तक की धाराओं के तहत गणना की गई परिस्थितियों के तहत सहमति प्राप्त की जाती है, वही बलात्कार के लिए भी राशि होगी।

दीलीप सिंह बनाम बिहार राज्य [5] में , सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "हालांकि, इच्छाशक्ति और सहमति अक्सर बीच में आती है, व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध किया गया कृत्य बिना सहमति के किया गया कृत्य हो सकता है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार संभव के रूप में व्यापक करने के लिए अलग सिर के तहत इन दो अभिव्यक्तियों। "

केस कानून

अभियुक्त के पुरुष अंग पर चोट की अनुपस्थिति जहां एक अभियोजन पक्ष एक नाबालिग लड़की है जो टूटे हुए हाइमन के कारण दर्द से पीड़ित है और योनि से रक्तस्राव समान है, उसके बयानों में मामूली विरोधाभास वे अधिक मूल्य के नहीं हैं। इसके अलावा, अभियुक्त के निर्दोष होने के लिए आरोपी के पुरुष अंग पर किसी भी चोट की अनुपस्थिति कोई वैध आधार नहीं है, धारा 375 आईपीसी के तहत एक दोषी को उचित ठहराया गया था; मोहम्मद। **जुबेर नूर मोहम्मद चांगवाडिया बनाम गुजरात राज्य** ।

## प्रवेश

शुक्राणुजोज़ा की अनुपस्थिति अभियोजन मामले की शुद्धता पर संदेह पैदा नहीं कर सकती है। **पृथ्वी चंद बनाम हिमाचल प्रदेश।**

## बलात्कार या सघन सेक्स

विवाह के वादे के तहत संभोग केवल प्रारंभिक अवस्था से बलात्कार का गठन करता है आरोपी का वादा रखने का कोई इरादा नहीं था। एक आरोपी को बलात्कार के लिए तभी दोषी ठहराया जा सकता है, जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि आरोपी का इरादा बदचलन था, और उसका उद्देश्य गुप्त था। **दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य।**

## धारा 375 के अपवाद

'अपवाद 2- किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन क्रिया, सोलह साल से कम उम्र की पत्नी का यौन उत्पीड़न नहीं।'

चूंकि भारत में बाल विवाह अभी भी शून्य नहीं है और केवल शून्य है, इसलिए समय से पहले पुरुषों को उनके वैवाहिक अधिकारों का लाभ उठाने से रोकने के लिए इस तरह की जाँच आवश्यक थी। कोई भी पुरुष अपनी ही पत्नी पर बलात्कार का दोषी नहीं हो सकता है, जब वह उस वैवाहिक सहमति के आधार पर 15 वर्ष से अधिक उम्र की हो जो उसने दी है।

**Bishnudayal बनाम बिहार राज्य** , जहां अभियोक्त्री, 13 या 14 की एक महिला, जो अपने पिता द्वारा भेजा गया था उनकी बड़ी बेटी के पति के रिश्तेदारों देखो करने के लिए उसके बाद बड़ी बहन कुछ समय के लिए साथ देने के लिए, जबरन था ' अपीलकर्ता से शादी की और उसके साथ संभोग किया, आरोपी को धारा 376 के तहत बलात्कार के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

हालांकि, धारा 376 बी के तहत, न्यायिक अलगाव के डिक्री के तहत उसकी सहमति के बिना उसकी अपनी पत्नी के साथ आईपीसी संभोग 2 से 7 साल के कारावास की सजा है।

## बलात्कार की सजा

इसमें कहा गया है कि यदि बलात्कार नीचे सूचीबद्ध व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तो उन्हें 10 साल से कम नहीं की कठोर सजा दी जाएगी, लेकिन आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए कारावास होगा, और करेगा भी ठीक करने के लिए उत्तरदायी हो।

थाने की सीमा के भीतर पुलिस अधिकारी।

किसी भी स्टेशन हाउस के परिसर में एक पुलिस अधिकारी।

पुलिस अधिकारी की हिरासत में एक महिला पर एक पुलिस अधिकारी।

लोकसेवक ने एक महिला को अपनी हिरासत में लिया।

सशस्त्र बलों के सदस्य।

जेल के प्रबंधन में कोई भी व्यक्ति, ऐसे स्थान के कैदी पर घर इत्यादि का रिमांड देता है।

उस अस्पताल में एक महिला पर अस्पताल का स्टाफ / प्रबंधन।

ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसी महिला पर किसी महिला के प्रति विश्वास या अधिकार या नियंत्रण या प्रभुत्व की स्थिति में हो।

सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान।

एक गर्भवती महिला पर

16 साल से कम उम्र की महिला पर

सहमति देने में असमर्थ महिला पर

मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम महिला पर

जो एक महिला के जीवन को गंभीर रूप से परेशान या परेशान करता है।

जो एक ही महिला पर बार-बार बलात्कार करता है

यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी भी महिला पर बलात्कार करता है, तो उसे किसी भी विवरण के लिए सश्रम कारावास की सजा दी जाएगी, जो सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है, और जुर्माना करने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

## आईपीसी की धारा 376-ए - मौत का कारण या पीड़ित के लगातार वनस्पति राज्य में सजा

यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो धारा 376 के तहत दंडनीय है जो महिलाओं की मृत्यु का कारण बनता है या महिलाओं के लगातार वनस्पतिक अवस्था में होने का कारण बनता है, तो उन्हें कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जो 20 वर्ष से कम होगी। , लेकिन आजीवन या मृत्यु के साथ कारावास तक बढ़ा सकते हैं।

## आईपीसी की धारा 376-बी - जुदाई के दौरान अपनी पत्नी पर पति द्वारा संभोग

जो कोई भी अपनी पत्नी के साथ संभोग करता है, जो अलग-अलग रह रहा है, चाहे वह अलग होने के फरमान के तहत या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना, किसी भी विवरण के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जो दो साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो विस्तारित हो सकती है सात साल तक, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण। –इस खंड में, "संभोग" का अर्थ धारा 375 के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित किसी भी कार्य से होगा।

## आईपीसी की धारा 376-सी- संभोग में एक व्यक्ति द्वारा संभोग

जो कोई भी,

1. अधिकार की स्थिति में या एक पक्षपातपूर्ण संबंध में; या

2. एक लोक सेवक; या

3. पुलिस अधीक्षक या जेल का प्रबंधक, रिमांड होम या हिरासत के अन्य स्थानों पर या किसी कानून के तहत, या एक महिला या बच्चों के संस्थान में स्थापित किया जा सकता है; या

4. एक अस्पताल के प्रबंधन पर या एक अस्पताल के कर्मचारियों पर,

किसी भी महिला को अपनी हिरासत में या उसके आरोप में या उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए या उसके आरोप में या उसे पेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए ऐसी स्थिति या विवादास्पद संबंध का दुरुपयोग करता है, इस तरह के संभोग बलात्कार के अपराध की राशि नहीं है, कठोर कारावास के साथ दंडित किया जाएगा। या तो एक शब्द के लिए विवरण जो पांच साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकता है, और जुर्माना के लिए भी उत्तरदायी होगा।

## IPC- गैंग रेप की धारा 376-D

यह सामूहिक बलात्कार के लिए सजा को निर्धारित करता है और कहता है कि जहां एक महिला के साथ व्यक्तियों के समूह द्वारा बलात्कार किया जाता है, तो उन्हें 20 साल से कम की कठोर सजा नहीं दी जाएगी, लेकिन आजीवन कारावास और जुर्माना तक हो सकता है।

नोट: इस तरह का जुर्माना चिकित्सकीय खर्च और पीड़ित के पुनर्वास के लिए उचित और उचित होगा। साथ ही, इस धारा के तहत लगाए गए किसी भी जुर्माने का भुगतान पीड़ित को किया जाएगा।

## आईपीसी की धारा 376-ई के तहत अपराधियों को दंडित किया जाएगा

जो पहले धारा 376 या धारा 376-ए या धारा 376-डी के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और बाद में उक्त धाराओं में से किसी के तहत अपराध का दोषी पाया गया है उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, जिसका अर्थ शेष के लिए कारावास होगा। उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन या मृत्यु के साथ। ' [1 1]

## ग्लोब के पार सजा

## आइए विभिन्न देशों में बलात्कार के दोषियों के लिए दंडों को देखें:

## सऊदी अरब:

एक इस्लामिक देश होने के नाते, सऊदी अरब की कानूनी व्यवस्था शरिया - इस्लामी कानून पर आधारित है। बलात्कार के लिए सजा, या उस मामले के लिए हत्या, नशीले पदार्थों की तस्करी, सोडोमी, डकैती और धर्मत्याग जैसे अन्य अपराध सार्वजनिक रूप से अपमानजनक हैं। कहा जाता है कि पीटते समय, पीड़ित को एक शामक

दिया जाता है। यह एक सार्वजनिक स्थान पर किया जाता है, जहां पीड़ित को मक्का का सामना करने के लिए घुटने के बल बनाया जाता है और उसके सिर को पुलिस द्वारा एक ही झटके से मार दिया जाता है।

## चीन:

चीन में भी बलात्कारियों को कड़ी सजा दी जाती है। बलात्कार एक क्रूर अपराध है और बलात्कारी को दोषी ठहराए जाने पर मृत्युदंड की घोषणा की जाती है। यह गर्दन में शामिल होने वाली रीढ़ की हड्डी पर एक भी गोली दागकर किया जाता है। चीन में बलात्कारियों को दी जाने वाली एक और सज़ा है कैस्ट्रेशन। अन्य जघन्य अपराधों के लिए भी यही सजा दी जाती है। यह ध्यान देने योग्य है कि अदालती कार्यवाही बहुत जल्दी होती है।

## उत्तर कोरिया:

उत्तर कोरिया में भी बलात्कारी को सजा देने की बात नहीं की जाती है। फायरिंग दस्ते द्वारा अपराधी को या तो उसके सिर या महत्वपूर्ण अंगों में गोली मारी जाती है। यह अपराधी को अपेक्षाकृत जल्दी मारता है और पीड़ित को त्वरित न्याय प्रदान करता है।

## अफगानिस्तान:

अफगानिस्तान में भी, बलात्कार के आरोपियों को दंडित करने के लिए इस्लामी कानून का पालन किया जाता है। बलात्कारी को या तो फांसी पर लटका दिया जाता है या सिर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराध के चार दिनों के भीतर सजा दी जाती है।

## ईरान:

इस्लामिक कानून के मुताबिक, बलात्कारियों के लिए मौत की सजा जरूरी है। ईरान में भी एक बलात्कारी को मौत की सजा दी जाती है। यहां तक कि अन्य अपराधों के लिए भी मौत की सजा है। कभी-कभी बलात्कार पीड़िता मुआवजा लेकर मामला सुलझा लेती है। ऐसे मामले में, बलात्कारी 100 लपकों और कभी-कभी कारावास के साथ भाग जाता है।

## फ्रांस:

बलात्कार कानून और दंड फ्रांस में अधिक परिभाषित और व्यापक हैं। एक व्यक्ति, अगर बलात्कार की घटना को बढ़ाने के लिए दोषी पाया जाता है, तो वह 10 साल की कैद के लिए उत्तरदायी है। यदि बलात्कार पीड़िता की मृत्यु हो जाती है, तो यह अवधि बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी जाती है। एक बलात्कारी को आजीवन कारावास दिया जाता है यदि पीड़िता किसी भी प्रकार की यातना से गुजरती है और बलात्कार के बाद भी बर्बरतापूर्ण कृत्य करती है।

## अमेरीका:

संयुक्त राज्य अमेरिका में, विभिन्न प्रकार के यौन हमले के आधार पर दंड लागू किया जाता है, जिसमें बलात्कार भी शामिल है। सजा को 1, 2 और 3 डिग्री बलात्कार की सजा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बलात्कार के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है, जो 30 साल की जेल हो सकती है।

## यूनान:

ग्रीस में बलात्कारी को कैद से सजा दिया जाता है।

## रूस:

रूस में, एक बलात्कारी के लिए कारावास की अवधि तीन से छह साल है। अगर पीड़िता 18 साल से कम है या बलात्कार के बाद किसी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है, तो कारावास की अवधि चार से 10 साल हो जाती है। यदि बलात्कार के बाद पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो कारावास की अवधि आठ से 15 साल तक बढ़ जाती है। दोषी को 20 साल के लिए कोई भी व्यवसाय या नौकरी करने पर भी प्रतिबंध है। बलात्कारी को 12 से 20 साल की सजा होगी अगर पीड़िता 14 साल से कम उम्र की है और बलात्कार के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।

## इजराइल:

इज़राइल में, एक बलात्कार का दोषी न्यूनतम चार साल और अधिकतम 16 साल की कैद पाता है।

## संयुक्त अरब अमीरात:

संयुक्त अरब अमीरात में भी, सजा मौत है। बलात्कारी को मौत तक फांसी दी जाती है और यह सजा अपराध के सात दिनों के भीतर मिलती है।

## मिस्र:

मिस्र में भी, अपराधी को मृत्यु तक फांसी दी जाती है।

## नीदरलैंड:

यौन उत्पीड़न या जबरन सेक्स, एक फ्रांसीसी चुंबन सहित, किसी भी तरह का नीदरलैंड में एक बलात्कार के रूप में माना जाता है। बलात्कारी की सजा पीड़ित की उम्र के आधार पर चार से 15 साल की कैद तक होती है। यहां तक कि एक वेश्या या उसके साथ किए गए किसी भी उत्पीड़न के बलात्कार को नीदरलैंड में बहुत प्राथमिकता दी जाती है।

## ऐतिहासिक निर्णय

## निर्भया केस (2012)

इस मामले में शायद ही किसी तथ्य की आवश्यकता है क्योंकि यह अभी भी राष्ट्र की चेतना में ताजा है। एक पैरामेडिकल छात्रा को छह पुरुषों ने इस हद तक प्रताड़ित किया कि उसकी योनि में एक लोहे की छड़ घुसा दी गई और उसकी आंतें, पेट और गुप्तांग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सर्दियों की रात में उन्होंने उसे बस से बाहर फेंक दिया। एक आरोपी किशोर था और उसे तीन साल के लिए सुधार की सुविधा के लिए भेजा गया था। एक आरोपी ने जेल में आत्महत्या कर ली और बाकी को मौत की सजा दी गई।

अदालत ने कहा कि "सजा देने का प्रश्न विवेक का विषय है और व्यक्तिगत मामलों में गंभीर या कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए . . . समाज की सुरक्षा और अपराधी को रोकना कानून का लाभ है। जबकि जघन्य मामले में सजा का निर्धारण करना अपराधों, न्यायाधीशों ने समाज पर इसके प्रभाव को तौलना चाहिए और न्याय के लिए सामूहिक विवेक या समाज के रोने पर पर्याप्त वाक्य लगाया। उचित सजा देने पर विचार करते समय, अदालतों को न केवल अपराधी के अधिकारों, बल्कि पीड़ित और समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए। ”

## रमेशभाई चंद्रभाई राठौड़ बनाम गुजरात राज्य

तात्कालिक मामले में, जिस पीड़ित ने अपने जीवन में दस समर भी नहीं देखे थे, वह आरोपी अपीलकर्ता के यौन हमले और जानवरों की वासना का शिकार है। उसके साथ न केवल बलात्कार किया गया, बल्कि आरोपी अपीलकर्ता द्वारा उसकी हत्या कर दी गई।

कई मामलों में सामाजिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव पर विचार किए बिना सजा का प्रभाव वास्तव में एक निरर्थक अभ्यास हो सकता है। सजाओं से निपटने के रूप में, अदालतों ने इस प्रकार "अपराध परीक्षण", "आपराधिक परीक्षण" और "दुर्लभतम परीक्षण" लागू किया है, परीक्षण यह जांचते हैं कि क्या समाज ऐसे अपराधों का दुरुपयोग करता है और क्या ऐसे अपराध समाज की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं और आकर्षित करते हैं समुदाय का तीव्र और अत्यधिक आक्रोश। न्यायालयों ने आगे कहा है कि जहां पीड़ित असहाय महिलाएं, बच्चे या बूढ़े व्यक्ति हैं और आरोपी ने अपमानजनक मानसिकता का प्रदर्शन किया है, वहां अपराधपूर्ण तरीके से अपराध किया जाता है, आरोपी को कोई पश्चाताप नहीं दिखाया जाना चाहिए और मृत्युदंड दिया जाना चाहिए।

## राज्य बनाम दीपक डोगरा (2013)

लड़के ने पीड़िता के साथ झूठे बहाने से यौन संबंध स्थापित किए कि वह उससे बाद में शादी करेगा। उसने एक अमान्य शादी का प्रदर्शन किया जब लड़की ने पुलिस से उसकी शिकायत की जब उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती थी। अपराधी के घिनौने और अमानवीय कृत्य को ध्यान में रखते हुए, दोषी को कड़ी और कड़ी सजा देने की आवश्यकता है, ताकि यह न केवल अपराध की गंभीरता के साथ कम्फ़र्टेन्स में हो, बल्कि दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य करे एक ही निषिद्ध मार्ग पर भी उद्यम करें। अपराधी किसी भी प्रकार की उदारता के योग्य नहीं है। [15]

## महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन

एक नवविवाहित लड़की के साथ एक पुलिसकर्मी ने दो बार बलात्कार किया था जबकि उसके पति को उससे अलग रखा गया था। उसने न केवल उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उसे धमकी भी दी कि अगर उसने उसका मुंह खोला, तो वह उसे और उसके पति को जिंदा जला देगा। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 6 महीने के लिए कठोर कारावास भुगतने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से 1,000 रुपये का जुर्माना अदा किया। अदालत ने माना कि जब वर्दी में कोई व्यक्ति अपनी दिवंगत किशोरावस्था में छोटी बच्ची पर बलात्कार का इतना गंभीर अपराध करता है, तो सहानुभूति या अफ़सोस की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसे मामलों में सजा अनुकरणीय होनी चाहिए।

## निष्कर्ष

अदालतों और विधायिका को कई बदलाव करने पड़ते हैं अगर बलात्कार के कानूनों को लेकर कोई रोक-टोक हो। अदालतों को इस तथ्य को समझने की जरूरत है कि ये विवेकहीन अपराधी- जो कभी-कभी अपने पीड़ितों को भी पीटते हैं और प्रताड़ित करते हैं- जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, ऐसे छोटे समय के कारावास से किसी को भी तंग या परेशान नहीं करने वाले हैं। इसलिए, न्याय और समाज के सर्वोत्तम हित में, इन अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। कानून बना हुआ है, लेकिन पीड़ितों की संख्या (नाबालिग सहित) असहाय महिलाओं की आत्मा को नष्ट करने के लिए जारी है। इस प्रकार, द संशोधन १ ९ has३ में बलात्कार के मौजूदा कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए हैं, जो बढ़ते जनमत की प्रतिक्रिया के रूप में अधिक कड़े बलात्कार विरोधी कानूनों की मांग कर रहे हैं।

## अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल

### 1. IPC के दायरे में कौन बलात्कार कर सकता है?

आईपीसी की धारा 375 की भाषा स्पष्ट है। इसकी शुरुआत 'एक आदमी को बलात्कार करने के लिए कहा जाता है . . .' धारा 375 की परिभाषा को पूर्व निर्धारित करने में, यह स्पष्ट है कि भारतीय दंड संहिता की योजना में, बलात्कार का अपराधी केवल एक आदमी हो सकता है। हालाँकि, जहां तक यौन शोषण के शिकार बच्चों का संबंध है, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लैंगिक तटस्थ है। मर्मज्ञ यौन उत्पीड़न (POCSO अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित), बलात्कार के अपराध के समान भौतिक रूप से भारतीय दंड संहिता में परिभाषित है। बाल यौन शोषण के मामले में, पीड़ित और अपराधी दोनों पुरुष या महिला हो सकते हैं, और यह इस संदर्भ में है कि महिला अपराधियों को कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है।

### 2. कानून की नजर में बलात्कार का शिकार कौन हो सकता है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 केवल महिलाओं को बलात्कार के बचे के रूप में मान्यता देती है। POCSO एक्ट यह मानता है कि कोई भी बच्चा (लिंग के बावजूद) भेदक यौन हमले का शिकार हो सकता है। हालांकि, यह वयस्क यौन उत्पीड़न के बचे हुए वयस्क पुरुष को छोड़ देता है, जो कानून बलात्कार के पीड़ितों के रूप में मान्यता नहीं देता है। एक श्रेणी के रूप में मर्मज्ञ यौन हमले से बचे वयस्क पुरुष आईपीसी की धारा 375 के दायरे से बाहर रह जाते हैं। यह हमारे कानूनों के पितृसत्तात्मक निर्माण में एक झलक है कि भेदक यौन हमले से बचे एक वयस्क पुरुष को भारतीय दंड संहिता की धारा 377, एक बल्कि ड्रैकुशियन से एक अवशेष लेना होगा, जो दंडात्मक कारावास को दंडित करना चाहता है। प्रकृति का क्रम 'और सहमति देने वाले वयस्कों और

गैर-सहमति वाले प्रतिभागियों के बीच अंतर नहीं करता है। इससे एक दुखद कानूनी कथा बनती है, जो मानती है कि 'पुरुषों को नपुंसक बनाया जा सकता है, बल्कि बलात्कार नहीं किया जा सकता है।'

## 3. बलात्कार के अधिनियम का गठन करने के लिए किन कृत्यों की आवश्यकता है? क्या पैठ आवश्यक है?

2013 से पहले, कानून जबरन गुदा प्रवेश, या मौखिक सेक्स की 'बलात्कार' घटनाओं के रूप में मान्यता नहीं देता था। इसने एक विषम कानूनी स्थिति का नेतृत्व किया जहां अगर किसी को गुदा संभोग के लिए मजबूर किया गया था, तो उन्हें केवल आईपीसी की धारा 377 के तहत आरोपित किया जा सकता था, न कि बलात्कार के लिए। यह अरुणा शानबाग मामले पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव था, जहां अपराधी को धारा 377 आईपीसी के तहत कभी भी चार्ज नहीं किया गया था, कथित तौर पर पीड़ित के मंगेतर को 'शर्मिंदगी' से बचाने के लिए। अपराधी को हत्या या लूट का दोषी ठहराया गया था।

2013 के आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के साथ, आईपीसी में बलात्कार शब्द के दायरे को 'penile-vaginal' पैठ के अलावा कई श्रेणियों को शामिल करने के लिए व्यापक किया गया था। महिला की सहमति के बिना किए जाने पर चार श्रेणियों की कार्रवाई को बलात्कार के रूप में मान्यता दी जाती है: जब कोई पुरुष किसी भी हद तक, महिला के मुंह, योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या महिला को उसके या किसी अन्य के साथ ऐसा करता है। (योनि में लेबिया मेजा शामिल है) किसी भी हद तक, किसी वस्तु या शरीर के हिस्से में, लिंग के न होने पर, उक्त परिक्रमा में सम्मिलित होता है, या उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करता है। महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में छेड़छाड़ करना ताकि उक्त छिद्रों में प्रवेश करना, या उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करना। किसी महिला की कही गई बातों पर अपना मुंह लगाती है या उसे उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करती है। (नोट: यहां किसी भी प्रकार के प्रवेश की आवश्यकता नहीं है)

## 4. सामूहिक-बलात्कार क्या है? क्या समूह या गिरोह के प्रत्येक सदस्य को सजा का सामना करने के लिए यौन उत्पीड़न करना पड़ता है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी इस बात की पुष्टि करती है कि 'जहाँ एक महिला या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह का गठन किया जाता है या एक सामान्य इरादे के लिए काम करता है, उन व्यक्तियों में से प्रत्येक को बलात्कार का अपराध माना जाएगा और होगा सजा दी गई ...। '

सामूहिक बलात्कार के लिए यह प्रावधान मानता है कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वास्तव में बलात्कार का अपराध करना आवश्यक नहीं है, उच्च स्तर की अपराधीता है। कानून समूह की सामान्य मंशा के आगे किसी भी गतिविधि को दंडित करता है जैसे कि यह बलात्कार का अपराध था। इसका मतलब यह होगा कि यहां तक कि वे व्यक्ति जो दरवाजों पर पहरा देते हैं, या पीड़ित व्यक्ति को पकड़ कर खुद को हल्की सजा नहीं दे सकते, यह दावा करके कि वे वास्तव में यौन हमला नहीं करते हैं।

## 5. क्या गैंग रेप के लिए महिला पर आरोप लगाया जा सकता है?

प्रिया पटेल बनाम स्टेट ऑफ़ एमपी [16] में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क यह था कि यद्यपि कोई महिला बलात्कार नहीं कर सकती है, लेकिन यदि कोई महिला बलात्कार के कृत्य की सुविधा देती है, तो उसके खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। उच्च न्यायालय का विचार था कि एक महिला भले ही

बलात्कार नहीं करती हो, लेकिन अगर कोई महिला बलात्कार के कृत्य की सुविधा देती है, तो स्पष्टीकरण–मैं धारा 376 (2) के तहत आती है और उस पर सामूहिक बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है। नियम आम इरादे के सिद्धांत पर आधारित है जैसा कि आईपीसी की धारा 34 में प्रदान किया गया है। शीर्ष अदालत ने अपील में इसी मामले में आईपीसी की धारा 375 को पढ़ने के बाद केवल पुरुष के साथ बलात्कार किया हो सकता है। धारा 376 (2) की व्याख्या केवल यह इंगित करती है कि जब एक या अधिक व्यक्ति किसी महिला से बलात्कार करने के अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हैं, तो समूह के प्रत्येक व्यक्ति को सामूहिक बलात्कार करने के लिए समझा जाना चाहिए। व्यक्ति में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे।

## 6. **उत्तेजित बलात्कार क्या है?**

पीड़ित, या अपराधी की विशेष स्थिति के कारण बढ़े हुए बलात्कार हो सकते हैं –

किसी को अधिकार होने और उसकी कानूनी स्थिति (जैसे पुलिस अधिकारी, लोक सेवक, सशस्त्र बल के जवान, जेल कर्मचारी) के कारण अधिकार पर बलात्कार करना;

किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बलात्कार जो पीड़ित के साथ विश्वास की स्थिति में है (अस्पताल कर्मचारी, रिश्तेदार या अभिभावक, नियंत्रण या प्रभुत्व में व्यक्ति);

पीड़ित की विशेष प्रकृति (गर्भवती महिला उसे गर्भवती होना, 16 वर्ष से कम आयु की महिला, जो महिला सहमति नहीं दे सकती है, शारीरिक / शारीरिक विकलांगता से पीड़ित महिला);

बलात्कार जिसमें हिंसक परिस्थितियाँ शामिल हैं (सांप्रदायिक हिंसा के दौरान, पीड़ित को चोट पहुँचाने / विघटन / पीड़ित के जीवन को खतरे में डालने, बार–बार उसी पीड़िता के साथ बलात्कार करना)।

इस तरह के उग्र बलात्कार करने की सजा 10 साल से लेकर उम्रकैद और जुर्माने के साथ सश्रम कारावास है। उत्तेजित बलात्कार का एक अन्य रूप बलात्कार है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या उसे स्थायी वनस्पति राज्य और सामूहिक बलात्कार में समाप्त हो जाता है।

## **7. क्या दोहराने वाले अपराधियों के लिए और अधिक कठोर सजा है?**

भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ई में कहा गया है कि जो भी पहले धारा 376 या धारा 376 ए या धारा 376 डी (यानी बलात्कार, अपराध या बलात्कार को अंजाम देने के दौरान मौत या वनस्पति राज्य का कारण बनता है) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और बाद में उक्त धाराओं में से किसी के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है, जिसे आजीवन कारावास (जो उस व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन के शेष के लिए कारावास होगा) या मृत्यु के साथ दंडित किया जाएगा। ध्यान दें कि इस खंड के लिए एक पिछला दोषी होना आवश्यक है, इसके बाद एक दोषी को दोषी ठहराया जाना चाहिए।